(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए विदेशी कंपनियों अथवा निजी एजेंसियों से कोई समर्थन अथवा सहायता मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का रिफाइनरी से भारी अवशेष के आधार पर बडोदरा में गुजरात रिफाइनरी के समीप 500 मेगावट की क्षमता वाला विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आई ओ सी द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने के बाद ही, संयुक्त उद्यम भागीदार और इक्विटी संरचना आदि का ब्यौरा ज्ञात हो सकेगा।

Amendment in Gadgil and Mukherjee Formula

4110. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the existing Gadgil Mukherjee formula, used for distribution of Plan assistance among States does not take into account vital factors and indicators of lesser development such as desert area, index of infrastructure, population of SC/ ST etc:

(b) sincewhen the present formula in vogue;

(c) whether States are demanding for a review of the same; and

(d) if so, what are the additional factors which are being demanded for inclusion in the formula and by when Government intends to revise the existing formula?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) The existing Formula, which is the basis for distribution of Plan Assistance amongst States since the inception of 8th Five Year Plan, is known as Gadgil-Mukherjee formula. The Formula as given in the statement takes into account the economic backwardness of the States measured in terms of per capita Net State Domestic Product with substantial weightage which favours the less developed States.(*See* below)

(c) and (d) The States have expressed their views regarding the need for revision of the Formula. The suggestions from the States basically relate to revision in relative weightage assigned to the objective criteria of poplulation, backwardness, performance and special problems besides revision in grant loan ratio of central assistance and treatment to speical category States. The Planning Commission, at present, is examining the views expressed by the States regarding the revision of the Formula.

Statement

The existing formula for allocation of Central Plan Assistance to States which is known as Gadgil Mukherjee Formula as discussed below has been adopted with the approval of National Development Council in December 1991.

I. From the total Central Assistance set apart funds required for externally aided projects.

II. From the balance, provide reasonable amounts for Special Area Programme viz.
   (a) Hill Areas;
   (b) Tribal Areas;
   (c) Border Areas;
   (d) N.E.C.
   (e) Other Programmes.

III. From the balance, give 30% to the Special Category States.

IV. Distribute the balance among the non-special category States as per the following formula:

Criteria	Weight(%)
1. Population (1971)	60
2. *Per Capita Income*	25
(a) Deviation method-covering States with per capita SDP below the national average.	20

(b) Distance method-covering all States	5
3. *Performance of which:*	7.5
(a) Tax effort	2.5
(b) Fiscal Management	2.0
(c) *National Objectives*	3.0
(1) Population control	1.0
(2) Elimination of Female illiteracy	1.0
(3) On-time completion of externally aided projects	0.5
(4) Success in land reforms	0.5
4. Special Problems	7.5

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4111. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य तथा स्वरूप क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में सीमा कार्यक्रमों को जिन विशिष्ट स्थानों में कार्यान्वित किया जाना है, उनका गुजरात समेत राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती, अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह कार्यक्रम उन राज्यों तक विस्तारित है जिनकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगती है अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बहरहाल, गुजरात सहित इन राज्यों में सीमा क्षेत्रों में विकास के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु इस कार्यक्रम के तहत स्कीमों को केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले ब्लॉकों में शुरू किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य में शुरू की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के विषय में निर्णय राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा किये जाते हैं। उत्तर-पश्चिमी राज्यों अर्थात् राजस्थान और गुजरात में शुरू की गई स्कीमें संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सुरक्षा आदि से सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय बजट 1998-99 में किए गए प्रावधान के आधार पर चालू वर्ष अर्थात 1998-99 में उत्तर-पश्चिमी राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गये आबंटन इस प्रकार हैं:-

राज्य	(रु करोड़) आवंटन
राजस्थान	26.52
गुजरात	8.88

योजना आयोग के पास संगृहीत राशि

4112. **श्री अखिलेश दास:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना आयोग के पास संगृहीत राशि कितनी थी;

(ख) क्या योजना आयोग को नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उन संसाधनों के बारे में, जो कि उसके पास उपलब्ध हैं और जिनकी कमी पड़ जाने की संभावना है, कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) योजना के लिए परिकल्पित समस्त वित्तीय संसाधन विभिन्न क्षेत्रकों और योजना में शामिल कार्यक्रमों के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। योजना कार्यक्रमों के लिए बजट-आबंटन, उपलब्ध संसाधनों और क्षेत्रकों की प्राथमिकताओं के आधार पर, संबंधित वर्षों के बजटों में प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए किए जाते हैं। किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि बाद में व्यपगत हो जाती है और इसलिए वित्तीय संसाधनों के संगृहीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में, नौवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों